



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK75301662400754S
Certificate Issued Date	: 07-Jul-2020 00:55 AM
Account Reference	: NONACC (SV/ uk1213804/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK/21380453504851283634S
Purchased by	: NAYYAR QURESHI
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: NAYYAR QURESHI
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: NAYYAR QURESHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



सारिकी गोयल  
स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नं. 3  
कोर्ट, कुम्भाउण्ड, मसूरी

Please write or type below this line.....

न

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.uttarakhand.gov.in". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मै/हम नययर कुरैशी पुत्र/पुत्री/पत्नी कलीम अहमद निवासी- गाडीखाना लाइब्रेरी मसूरी जिला देहरादून धोषणा करता हूँ/करती हूँ/ करते है कि -

1. यह कि मेरा/ हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
2. यह कि मै/ हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता) गाडीखाना लाइब्रेरी मसूरी जिला देहरादून में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षो 6 (छ) (कक्षो की संख्या) को नययर कुरैशी अतिथि गृह (Nayyar Qureshi Home Stay) अतिथि- उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक है।
3. यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/ हमारा स्वयं का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नहीं है।
4. यह कि मेरे/ हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/ भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है, अथवा भवन प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नहीं है/ स्वीकृति नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटको हेतु उपयोगी है। उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में, मै/हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि- उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली -2015 (प्रथम संसोधन नियमावली- 2016) तथा समय समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/ उप नियमों/ शर्तों को भली भाँति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा/होऊंगी/होंगे।

- घोषणा -

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाए तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक 17-08-2020 को मै/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथपत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/ करती हूँ/ करते है।

नययर कुरैशी पत्नी कलीम अहमद  
नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता

ATTESTED

(Mrs.) SEEMA CHADHA  
Advocate & Notary  
Collectorate Court, Dehra Dun

17/8/2020